फा.सं.ई-11016/01/2022-हिंदी
भारत सरकार
कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

*****

कौशल भवन, सातवां तल,
नई दिल्ली-110023,
दिनांक: 04 दिसंबर, 2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः प्रशिक्षण महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - तत्संबंधी।

उप महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2025 (बृहस्पतिवार) को अपराह्न 3:00 बजे भू-तल, कौशल भवन स्थित सम्मेलन कक्ष-2 में सम्पन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

2. समिति के सदस्यों से अनुरोध है **कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अपेक्षित** कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को अवगत कराएं।

संलग्नक: यथोपरि।

(मनीष झा)
उप निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

(1) प्रशिक्षण महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य (सूची संलग्न)।
(2) प्रशिक्षण महानिदेशालय के सभी अनुभाग ।
(3) आईटी अनुभाग : वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) महानिदेशक के पीएसओ
(2) उप महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव
(3) उप सचिव (राजभाषा प्रभारी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, नई दिल्ली।

प्रशिक्षण महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27 नवंबर, 2025 को उप महानिदेशक (प्रशि.) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रशिक्षण महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक उप महानिदेशक (प्रशि.) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2025 को अपराह्न 3:00 बजे, सभागार-II, भू-तल, कौशल भवन में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

सर्वप्रथम सदस्य-सचिव ने प्रशिक्षण महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उप महानिदेशक (प्रशि.) महोदय, उप सचिव (प्रशासन) महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपना-अपना परिचय दिया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही विधिवत प्रारंभ हुई।

1. सदस्य-सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इस समिति की पिछली बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2025 को हुई थी जिसका कार्यवृत्त जारी कर दिया गया था। पिछली बैठक में दिये गए सुझावों तथा उन पर की गयी कारवाई के बारे में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया जो निम्नानुसार है:

   - प्रशिक्षण महानिदेशालय में प्रतिदिन "आज का शब्द/आज का विचार" लिखने के लिए सामान्य प्रशासन द्वारा उपयुक्त स्थान पर LED स्क्रीन लगा दी गयी है और प्रतिदिन इस पर शब्द/विचार डिस्प्ले किए जा रहे हैं।
   - प्रशासन अनुभाग धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले सभी दस्तावेज़ (14) द्विभाषी में जारी करने हेतु प्रयासरत है। राजभाषा अनुभाग को भेजे गए नए दस्तावेज अनुवाद करके उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा पुराने दस्तावेजों का अनुवाद किया जा रहा है।
   - कार्यशाला के आयोजन के संबंध में उल्लेख किया गया कि संसदीय राजभाषा समिति का राजभाषा संबंधी निरीक्षण, मुंबई में आयोजित होना था। राजभाषा अनुभाग की निरीक्षण संबंधी कार्यों में व्यस्तता के कारण ISDS काडर के कार्मिकों को राजभाषा संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला आयोजित नहीं की जा सकी। कार्यशालाएं अब शीघ्र आयोजित की जाएंगी।
   - विगत तिमाही में अंग्रेजी से हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली अनुभागों में वितरित करने का आश्वासन दिया गया था। चूंकि 6 महीने से शब्दावली छापी नहीं जा रही है, अतः हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परन्तु इसकी सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष व्यक्त किया तथा राजभाषा संबंधी अपेक्षाओं को गंभीरता से लेने की हिदायत दी।

2. सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को इस बात से अवगत कराया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही की तुलना में मूल हिन्दी पत्राचार में 'क' क्षेत्र में 0.47%, ख' क्षेत्र में 3.42% और ग' क्षेत्र में 13.4% की वृद्धि हुई है । अध्यक्ष महोदय ने संबंधित अनुभागों को निदेश दिया कि वे अधिक से अधिक मूल रूप से हिंदी में सरकारी कामकाज करने का प्रयास करें।

(**कार्रवाई:** सभी अधिकारी/कर्मचारी, संबंधित अनुभाग)

3. सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय में सीएफ़आई अनुभाग, स्थापना -I अनुभाग के मूल पत्राचार में वृद्धि हुई है जो कि सराहनीय है। जबकि शेष अनुभागों/प्रभागों/प्रकोष्ठों जैसे सतर्कता, टी.सी. सेल, सी.आर अनुभाग, सी.डी. अनुभाग, पॉलीटेक्निक अनुभाग में पिछली तिमाही की तुलना में काफी कमी आई है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने हिदायत देते हुए कहा कि इस पर अविलंब ध्यान देते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि 'क' क्षेत्र के लिए निर्धारित 100 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सदस्य सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) का लक्ष्य 'क' क्षेत्र के लिए 100%, 'ख' क्षेत्र के लिए 100% और 'ग' क्षेत्र के लिए 65% निर्धारित किया गया है।

(**कार्रवाई:** सभी अधिकारी/कर्मचारी, संबंधित अनुभाग)

4. सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा हिंदी में प्राप्त कुल 895 पत्रों में से केवल 732 पत्रों के ही उत्तर हिंदी में दिए गए हैं तथा 04 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं जो कि राजभाषा नियम 5 का घोर उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम 1976, के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाने अपेक्षित हैं। इसे अध्यक्ष महोदय ने गम्भीरता से लेते हुए यथोचित निदेश दिए।

(**कार्रवाई:** राजभाषा अनुभाग, सभी अधिकारी/कर्मचारी, संबंधित अनुभाग)

5. सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में टी.सी. सेल, सतर्कता, सीडी अनुभाग, पॉलीटेक्निक के हिंदी में टिप्पण के प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो उत्साहवर्द्धक है। साथ ही स्थापना -I, बजट अनुभाग और टी.टी. सेल में हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता में कमी आई है जिस पर अविलंब ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बेहतर करने वाले अनुभागों की सराहना की तथा शेष अनुभागों को इस पर और ध्यान देने का निदेश दिया।

(**कार्रवाई:** सभी अधिकारी/कर्मचारी, संबंधित अनुभाग, राजभाषा अनुभाग)

6. सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को स्थापना-II, बजट, आईटी सेल, समन्वय, परियोजना, स्कीम जैसे अनुभागों द्वारा 2 अनुस्मारकों के बाद भी रिपोर्ट न भेजे जाने की स्थिति से अवगत कराया। इसे अध्यक्ष महोदय ने गम्भीरता से लेते हुए तिमाही रिपोर्ट समय से भेजने के निदेश दिए।

(**कार्रवाई:** संबंधित अनुभाग/राजभाषा अनुभाग)

7. बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित सदस्यों ने प्रशिक्षण महानिदेशालय में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए:

क. प्रशिक्षण महानिदेशालय नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित है। अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करना सुनिश्चित करें। हिन्दी में कार्य करने के लिए Microsoft Indic tool का उपयोग किया जा सकता है।

ख. सभी अनुभाग राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन करते हुए सभी दस्तावेज द्विभाषी में जारी करना सुनिश्चित करें। सभी अनुभाग यथासंभव स्वयं हिन्दी में पत्र आदि तैयार करें। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर अनुवाद हेतु अंग्रेजी में तैयार दस्तावेज राजभाषा अनुभाग को भेजे जा सकते हैं। हाल ही में, मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय के निरीक्षण में पाई गई कमियों पर अध्यक्ष महोदय ने असंतोष व्यक्त किया और इस पर तत्काल ध्यान देने की हिदायत दी।

ग. अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भेज दी जाए । ऐसा न करने पर संबंधित अनुभाग से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

घ. संसद के सभी सत्रों के दौरान प्रत्येक अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा तैयार अंग्रेजी प्रश्नोत्तरों को हिन्दी अनुवाद हेतु समय से राजभाषा अनुभाग को भेजे जाएं। साथ ही, इनमें किए जाने वाले संशोधनों से राजभाषा अनुभाग को समय पर अवगत कराया जाए ताकि प्रश्नोत्तरों को भेजने में विलंब न हो। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि राजभाषा अनुभाग भी संबंधित अनुभागों के साथ समन्वय बनाए रखे।

ङ. अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय संस्थानों में हिन्दी पदों के सृजन हेतु अपेक्षित कारवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी संस्थानों को पत्र लिखने का निदेश दिया।

च. अनुभागों में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से चार से पाँच ई-मेल हिन्दी में भेजें ।

छ. प्रशिक्षण महानिदेशालय के 55 क्षेत्रीय संस्थानों में हिन्दी में कार्य करने को बढ़ावा देने तथा राजभाषा नियमों, अधिनियमों से अवगत कराने के लिए राजभाषा संबंधी निरीक्षण को प्राथमिकता देते हुए 30% निरीक्षण लक्ष्य को पूरा किया जाए।

(**कार्रवाई:** राजभाषा अनुभाग)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

*****

प्रशिक्षण महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की अद्यतन सूची

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	
1.	श्री सुनील कुमार गुप्ता, उप महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री मनीष झा, उप निदेशक (रा.भा.)	सदस्य-सचिव
3.	श्री अमरेश कुमार झा, उप सचिव (प्रशा.)	सदस्य
4.	सुश्री निधि शर्मा, अवर सचिव (स्था.-I)	सदस्य
5.	श्री अनूप सिंह परिहार, निदेशक (सा.प्रशा.)	सदस्य
6.	श्री रमेश चन्द्र मीना, संयुक्त निदे. (योजन/पॉलीटेक्निक)	सदस्य
7.	श्री शेर सिंह मीना, सहायक निदेशक (सा.प्रशा.)	सदस्य
8.	श्री आसिफ इकबाल, सहायक निदेशक (डीडीओ, रोकड़)	सदस्य
9.	श्री श्रमेव शर्मा, उप निदेशक (संबद्धता)	सदस्य
10.	श्री मनीष कुमार, कार्यालय अधीक्षक (रोकड़)	सदस्य
11.	सुश्री रीता बोस, अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)	सदस्य
12.	श्री दानिश अग्रवाल, उप निदेशक (आईटी सेल)	सदस्य
13.	सुश्री संगीता शर्मा, सहायक निदेशक (सीडी)	सदस्य
14.	श्री स्नेहाशीष बंधोपाध्याय, सहायक निदेशक (सीडी)	सदस्य
15.	श्री विदित सिंह, उप निदेशक (टीटी सेल)	सदस्य
16.	श्री अमर कुमार, संयुक्त निदेशक (बजट)	सदस्य
17.	श्री जगबीर सिंह, अनुभाग अधिकारी (सीआर)	सदस्य
18.	सुश्री बबीता प्रसाद, प्रशिक्षण अधिकारी (टीसी अनुभाग)	सदस्य
19.	श्री निजामुद्दीन बरभुईया, उप निदेशक (सीएफ़आई)	सदस्य
20.	श्री आशीष कुमार शुक्ला, उप निदेशक (सीएफ़आई)	सदस्य
21.	श्री आर.के. खत्री, उप सचिव (समन्वय)	सदस्य
22.	श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (समन्वय)	सदस्य

अनुलग्नक-I

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :

क्र.सं	नाम/पदनाम	
1.	श्री सुनील गुप्ता, उप महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री मनीष झा, उप निदेशक	सदस्य सचिव
3.	श्री अमरेश कुमार झा.	सदस्य
4.	श्री आर.के खत्री, उप सचिव	सदस्य
5.	सुश्री निधि शर्मा, अवर सचिव	सदस्य
6.	श्री अमर कुमार, संयुक्त निदेशक	सदस्य
7.	श्री शेर सिंह मीना, सहायक निदेशक	सदस्य
8.	श्री मनीष, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य
9.	सुश्री बबीता प्रसाद, प्रशिक्षण अधिकारी	सदस्य
10.	सुश्री चित्रा , प्रशिक्षण अधिकारी	सदस्य
11.	श्री दानिश अग्रवाल, उप निदेशक	सदस्य
12.	श्री आशीष कुमार शुक्ला, उप निदेशक	सदस्य
13.	श्री निजामुद्दीन वरबुईया, उप निदेशक	सदस्य
14.	श्री रमेश चंद मीना, निदेशक	सदस्य
15.	श्री संजय कुमार	सदस्य
16.	सुश्री टीना शर्मा	सदस्य

*****